न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 467/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हनुमानसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति–राजपूत, निवासी–डिगरना, तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. सुमेरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह 2. श्यामसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह 3. पृथ्वीसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जातियान–राजपूत,निवासी–डिगरना 4. अमृतकंवर पुत्री मोहब्बतसिंह पत्नि भंवरसिंह, निवासी–जालूण्ड तहसील–दातारामगढ़, जिला–सीकर 5. प्रेमकंवर उर्फ पार्वतीकंवर पुत्री मोहब्बतसिंह पत्नि नन्दसिंह निवासी–करेरी, तहसील–शाहपुरा जिला–जयपुर 6. कंचनकंवर पुत्री मोहब्बतसिंह पत्नि दिलिपसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–करेरी, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर 7. जयसिंह पुत्र भंवरसिंह 8. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह जातियान–राजपूत, निवासी–डिगरना तहसील–जैतारण, जिला–पाली 9. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.06/07/2016**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सोमाराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 11/02/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–डिगरना, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती जमीन खसरा नम्बर 531 रकबा 8–08 बीघा, खसरा नम्बर 1009 रकबा 00–10 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 15–15 बीघा, खसरा नम्बर 1017 रकबा 02–14 बीघा, खसरा नम्बर 1046 रकबा 8–03 बीघा खसरा नम्बर 1049/1 रकबा 2–10 बीघा की आई हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6 का नाम हिन्दू उत्तराधिकारी हैसियत से वादी के पिता मोहब्बतसिंह के फौत होने से नाम आया हैं। इस जमीन पर प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6 का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा हैं। वे अपने ससुराल में रहती हैं। इनका विवाह मायरा एवं सामाजिक कार्य वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा किया जाता हैं। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कब्जा नहीं रहने से इनका नाम विलोपित किया जावें एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। उक्त आराजी में खसरा नम्बर 1009, 1015/1, 1017, 1046, 1049/1 में वादी को 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4-1/4-1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। मौजा-डिगरना में खसरा नम्बर 531 रकबा 8-08 बीघा में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का गलत नाम इन्द्राज हुआ हैं। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का ही कब्जा काश्त रहा हैं। खसरा नम्बर 531 रकबा 8-08 बीघा में प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 का नाम मोहब्बतसिंह के फौत होने से आया हुआ हैं। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 अपने ससुराल में ही रहती हैं। इनका नाम भी विलोपित किया जावें। मौके पर जबानी बंटवाड़ा हो रखा हैं तथा राजस्व अभिलेख में बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। वादी अपनी हिस्से की जमीन में काबिज काश्त करने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 7 व 8 को इस बाबत् बंटवाड़ा करने का कहां, तो मना कर दिया। मौजिज आदमीयों के समझाने पर दिनांक 15/06/2016 को मना करने पर दावा पेश करना ही उचित समझा हैं। उक्त भूमि का मौके पर बंटवाड़ा राजस्व अभिलेख में नहीं होने से वादी को ऋण लेने एवं उपजाऊ बनाने में यह वाद-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस वास्ते जवाबदावा तलब किये गये।

प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 की ओर से वकालतनामा एवं इकबालिया जबाबदावा पेश किया, जिसे सामिल मिसल किया गया। ईकबालिया जबाबदावा में जाहिर किया कि वाद के सभी तथ्य सही हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 से 9 को बावजूद सम्मनस सूचना / तामिल के एवं बार-बार आवाजें दिलाई जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21/07/2016 की गई हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 ने राजीनामा पेश किया, राजीनामा में जाहिर किया कि वादी एवं प्रति0 की वाद में वर्णित आराजी में वादी एवं प्रति0 संख्या 1 से 3 को 1/4-1/4-1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाने का आदेश फरमावें। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सा0मि0 किया गया। वककसल वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि वाद-पत्र पेश करते समय सहवन से प्रति0 संख्या 4 का नाम ईमरतकतद लिया गया हैं। जिसके स्थान पर अमृतकंवर संशोधित किये जाने का आदेश फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। प्रति0 संख्या 4 का दुरूस्त नाम संशोधन किया जाता हैं। वाद-पत्र में लाल स्याही से अमृतकंवर लिखा जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा माफिक राजीनामा वादी को 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4-1/4-1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना एंव खसरा नम्बर 1009, 1015/1, 1017, 1046, 1049/1 में से प्रति0 संख्या 4 से 6 व खसरा नम्बर 531 में से प्रति0 संख्या 7 व 8 का नाम रेकर्ड से हटाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-डिगरना, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती जमीन खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नम्बर 531 रकबा 8–08 बीघा, खसरा नम्बर 1009 रकबा 00–10 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 15–15 बीघा, खसरा नम्बर 1017 रकबा 02–14 बीघा, खसरा नम्बर 1046 रकबा 8–03 बीघा खसरा नम्बर 1049/1 रकबा 2–10 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/2078 दिनांक 18/11/2016 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/220 दिनांक 24/01/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8 को हटाया जाता हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–डिगरना, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती जमीन खसरा नम्बर 531 रकबा 8–08 बीघा, खसरा नम्बर 1009 रकबा 00–10 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 15–15 बीघा, खसरा नम्बर 1017 रकबा 02–14 बीघा, खसरा नम्बर 1046 रकबा 8–03 बीघा खसरा नम्बर 1049/1 रकबा 2–10 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	हनुमानसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	531/3 1015/4 1046	2-02-00 3-00-00 2-13-00	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
योग		**3**	**7-15-00**	**बा0दो0**
2	श्यामसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	531/2 1015/1 1046/3 1049/1	2-02-00 3-00-00 0-04-00 2-10-00	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
योग		**4**	**7-16-00**	**बा0दो0**
3	सुमेरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	531 1015/2 1046/2	2-02-00 3-00-00 2-13-00	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
योग		**3**	**7-15-00**	**बा0दो0**
4	पृथ्वीसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	531/1 1015/3 1046/1	2-02-00 3-00-00 2-13-00	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
योग		**3**	**7-15-00**	**बा0दो0**
5	हनुमानसिंह, श्यामसिंह, सुमेरसिंह, पृथ्वीसिंह पि0 मोहब्बतसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	1015/5 1009 1017	3-15-00 0-10-00 2-14-00	बा0दो0 गै0मु0 बा0दो0
योग		**3**	**6-19-00**	**बा0दो0**

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 11.02.2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)